

**राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय**

मांग संख्या 79

लोक सभा

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	469.95	469.95	...	535.98	535.98	...	528.00	528.00	...	562.86	562.86	
पूँजी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
जोड़	...	<b>469.95</b>	<b>469.95</b>	...	<b>535.98</b>	<b>535.98</b>	...	<b>528.00</b>	<b>528.00</b>	...	<b>562.86</b>	<b>562.86</b>	
<b>संसद - लोक सभा</b>													
1. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	2011	...	0.52	0.52	...	0.87	0.87	...	0.87	0.87	...	0.87	0.87
2. विपक्ष के नेता और उनका सचिवालय	2011	...	1.07	1.07	...	1.34	1.34	...	1.34	1.34	...	1.39	1.39
3. सदस्य	2011	...	253.88	253.88	...	271.16	271.16	...	281.78	281.78	...	294.15	294.15
4. सचिवालय	2011	...	213.39	213.39	...	261.08	261.08	...	242.57	242.57	...	265.01	265.01
5. सचिवालय (मुख्य सचेतक)	2011	...	0.15	0.15	...	0.27	0.27	...	0.18	0.18	...	0.18	0.18
6. अन्य व्यय	2011	...	0.94	0.94	...	1.26	1.26	...	1.26	1.26	...	1.26	1.26
<b>जोड़-संसद - लोक सभा</b>		...	<b>469.95</b>	<b>469.95</b>	...	<b>535.98</b>	<b>535.98</b>	...	<b>528.00</b>	<b>528.00</b>	...	<b>562.86</b>	<b>562.86</b>
<b>कुल जोड़</b>		...	<b>469.95</b>	<b>469.95</b>	...	<b>535.98</b>	<b>535.98</b>	...	<b>528.00</b>	<b>528.00</b>	...	<b>562.86</b>	<b>562.86</b>

1-2. यह प्रावधान लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष के नेता के वेतन एवं भत्तों आदि और उनके सचिवालय के लिए है।

3. इसमें संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के लिए व्यय, अन्य सुविधाओं पर व्यय, संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं और विदेशी संसदीय प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्राओं के लिए व्यय शामिल है।

4. इसमें स्टाफ एवं अधिकारियों के वेतन, स्थापना संबंधी जरूरतों और संसद भवन में संचालित रेलवे कैंटीन के लिए सन्डि और लोकसभा टेलीवीजन चैनल से संबंधित व्यय का प्रावधान है।

5. मुख्य सचेतकों के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों का प्रावधान है।

6. मुख्य सचेतकों के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के संबंध में वेतन और भत्तों का प्रावधान है।